[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग -II खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या. 70/2019-सीमाशुल्क (गैटे)

नई दिल्ली, दिनांक 01 अक्टूबर, 2019

09 आश्विन, शक 1941

सा.का.नि.   (अ):- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 57, 58 और धारा 73क की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 157 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्द्वारा, वेयर हाउस(कस्टडी एंड हैंडलिंग ऑफ गुडस) रेगुलेशन, 2016 में आगे भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथाः-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ** - (1) इन विनिनियनों को वेयर हाउस (कस्टडी एंड हैंडलिंग ऑफ गुडस) अमेंडमेंट रेग्युलेशन्स, 2019 कहा जाएगा ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे

2. वेयर हाउस (कस्टडी एंड हैंडलिंग ऑफ गुडस) रेगुलेशन, 2016 के विनियम 14 के पश्चात निम्नलिखित विनियम को जोड़ा जाएगा, यथाः-

"15 **कतिपय क्षेत्रों में इन विनियमों की अप्रयोजता-** इन विनिमयों में निहित कोई भी बात धारा 65 के अंतर्गत संचालित वेयर हाउस पर लागू नहीं होगी"।

[फा.सं. 484/03/2015-एलसी (पार्ट)]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव भारत सरकार

नोटः- प्रधान अधिसूचना सं. **68/2016**-सीमाशुल्क (गैटे), दिनांक 14 मई 2016 को सा.का.नि. 515(अ), 14 मई 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था।